

02/04/24

पत्रावली पेश हुई। कमील वादी उप।
कमील वादी ने प्रार्थना पत्र 0-23, 2-1 सपबिह धरा 15।
CPL पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि
के संबंध में आपसी रजिनामा हो जाने से वाद को
आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वाद को जरिये विज्ञान
खारिज किये जाने का निवेदन किया है। लिहाजा वादी
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण
जरिये विज्ञान खारिज किया जाता है। पत्रावली फासल
सुमार होकर नम्बर से कम है।

3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली